न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/127/2023 रजू दिनांकः 23.10.2023 रजि0 न0 2023/690

अपीलार्थीः–

श्री घनश्याम शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा, निवासी खेड़ा मिर्जापुर, तहसील रैणी, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 18.12.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 06.11.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/2164 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2023 के माध्यम से "महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी स्कीम के अन्तर्गत जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति" के संबंध में विविध बिन्दुवार सूचना/प्रमाणितत प्रति चाही गई थी वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण मूल आर.टी.आई आवेदन कार्यालय पत्र सं0 लो.सू.अ./अन्तरण/2023/1186–87 दिनांक 25.07.2023 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर को अन्तरित किया जा चुका है। जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है। प्रा0 पत्र दिनांक 14.08.2023 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत प्रथम अपील भी जिला प्रमुख महोदय, अलवर को पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/1571–73 दिनांक 08.09.2023 के माध्यम से सुनवाई हेतु अग्रेषित की जा चुकी है। अन्य प्रा0पत्र दिनांक 10.10.2023 के माध्यम से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत अपील श्रवण योग्य नहीं है, साथ ही इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर अपील के अनुक्रम में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अंततः कार्यवाही जिला परिषद अलवर द्वारा ही निष्पादित की जानी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील अपीलर्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली नियमानुसार शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाख़िल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)